न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 346 / 2026, जमानत आवेदन संख्या – 137 / 2026)
सी.आई.एस. नं. – 133 / 2026

1. राहुल कुमार मीणा पुत्र लालाराम मीणा, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम पाटिया की ढाणी, गांव रानियावास, तहसील जमवारामगढ़, पुलिस थाना जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।
2. राहुल मीणा पुत्र शम्भूदयाल मीणा, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम खुराड, पोस्ट कूकस, तहसील व थाना आमेर, जिला जयपुर उत्तर।

.......अभियुक्तगण / प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य

.... अभियोजन

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 127(2), 140(3), 189(2), 308(2) बी.एन.एस 2023,
पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व

उपस्थिति :
1. विद्वान अधिवक्ता श्री जे.आर. चौधरी, प्रार्थीगण / अभियुक्तगण की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, मनीष शर्मा, राज्य सरकार की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक : 19.06.2026**

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत का यह प्रार्थना पत्र धारा 482 बी.एन.एस.एस के तहत पुलिस थाना कानोता पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346 / 2026 अपराध अंतर्गत धारा 115(2), 127(2), 140(3), 189(2), 308(2) बी.एन.एस 2023 में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुसंधान पत्रावली तलब की गई, प्रस्तुत हुई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी यशवंत जोगी ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 02.06.2026 को शाम करीब 4.00 बजे राहुल मीना पुत्र लालाराम मीना निवासी धावाली हरिकिशनपुरा ने उसे

फोन पर मैसेज कर दस्तकार नगर नायला बुलाया, वह वहां गया तो राहुल के मामा का लड़का आमेर कुण्डा निवासी राहुल मीना व 5, 6 अन्य लड़के और थे। उसे राहुल धावाली ने कहा कि इनको कानोता काम है, वहां तक चलकर आते हैं, विश्वास कर वह इनकी स्विफ्ट गाडी नंबर आर.जे. 60 सी.जी. 8812 में बैठ गया और पैट्रोल पम्प के पास राहुल धावाली बहाना बनाकर उतर गया। वह गाडी से उतर रहा था, लेकिन उसे नहीं उतरने दिया और उक्त सभी लोग उसे कानोता से आगे सामरिया रोड तक ले गए, राहुल आमेर ने उसे अचानक कान पर थप्पड मार दिया व पीछे बैठे दो लड़कों ने तोलिए से मुंह दबा दिया और उसे आगे न जाने कहां–कहां अपहरण कर घुमाते रहे। एक लड़के ने उसकी बगल में पिस्टल लगा रखी थी और उसके फोन से अलग–अलग उसके परिवार व रिश्तेदारों से रूपये डलवाने के लिए फोन करवाया। उसके दोस्त से उसके फोन–पे नंबर पर करवा कर 4000/–रूपये डलवाए। इन रूपयों को तथा उसके फोन में 1200/– रूपये थे व 4500/– रूपये उसकी जेब में थे। सभी रूपयों को जबरन निकाल लिया और उसे रात 9.00–9.30 बजे तक घुमाते रहे व मारपीट करते रहे। बाद में उसे बस्सी मण्डी के पास पटक गए......... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 346/2026, अंतर्गत धारा 115(2), 127(2), 140(3), 189(2), 308(2) में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी को झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त राहुल कुमार मीणा ग्राम रानियावास तहसील जमवारामगढ़ का निवासी है, जबकि परिवादी ने धावाली हरिकिशनपुरा के राहुल मीणा द्वारा परिवादी को बुलाने का आरोप लगाया है, जो प्रार्थी/अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति है। प्रार्थी/अभियुक्त राहुल मीणा पुत्र शम्भूदयाल मीणा ग्राम खुराड का निवासी है और परिवादी द्वारा ग्राम कुण्डा के राहुल मीणा का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज कराया है जो भी प्रार्थी/अभियुक्त से भिन्न व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गलत तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार करने पर आमादा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादी से कोई राशि प्राप्त नहीं की है तथा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी का प्रश्न विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने को तैयार है। अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये

जाने का निवेदन किया गया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तथ्यात्मक रिपोर्ट **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है।**

6. केस डायरी के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि यह प्रकरण परिवादी यशवंत योगी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर दर्ज किया गया है। प्रकरण के दोनों मुलजिमान का नाम राहुल है और वह दोनों ही एक–दूसरे के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने परिवादी को धोखे से बुलाकर उसको गाडी में लेकर, मारपीट कर, ईधर–उधर घुमाते रहे और उससे उसके फोन पे पर दोस्तों व रिश्तेदारों से पैसे मगंवाकर उससे लूटपाट भी की है और काफी मारपीट भी की है। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया है कि मुलजिमान से अपराध में प्रयुक्त गाडी व लाठी–डण्डे बरामद करने हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण का उक्त अग्रिम जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आदेश</u>

7. परिणामतः अभियुक्तगण 1. राहुल कुमार मीणा पुत्र लालाराम मीणा, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम पाटिया की ढाणी, गांव रानियावास, तहसील जमवारामगढ़, पुलिस थाना जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण व 2. राहुल मीणा पुत्र शम्भूदयाल मीणा, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम खुराड, पोस्ट कूकस, तहसील व थाना आमेर, जिला जयपुर उत्तर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक **19.06.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम